

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक : प.10(49)आयु./2022/01020

रजिस्ट्रार,

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,  
जोधपुर, राजस्थान,

जयपुर, दिनांक:-

20 APR 2023

विषय:- आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती  
करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त 639 पदों पर भर्ती करने  
के संबंध में विज्ञाप्ति प्रकाशन के लिए अर्थना प्रपत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी में), विज्ञापन का  
प्रारूप, प्रेस-विज्ञाप्ति, बैंठक दिनांक 20.04.2023 का कार्यवाही विवरण, अनुभव प्रमाण पत्र  
का प्रारूप, चैकलिस्ट का प्रारूप संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पदों पर भर्ती  
का विज्ञापन 03 दिवस में प्रकाशित कर, अवगत कराने का श्रम करावें। साथ ही उक्त भर्ती  
प्रक्रिया की साप्ताहिक प्रगति से भी अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(भगवत् सिंह)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुष मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भर्ती के संबंध  
में कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से समन्वय स्थापित कर,  
भर्ती प्रक्रिया की साप्ताहिक रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।
4. प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
5. रक्षित पंत्रावली।

५  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक प 10(49)आयु/2022/01020

दिनांक 20.04.2023

विज्ञापन संख्या 1/2023

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 639 पदों पर भर्ती हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट <http://dsrrau.info> पर दिनांक 01.05.2023 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 31.05.2023 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक ऑन लाईन आमन्त्रित किये जाते हैं। इसके उपरान्त ऑन लाईन लिंक स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा हाथ से भरे गये फार्म किसी रूप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। भर्ती से सम्बन्धित पदों के वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन शुल्क, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चयन का आधार एवं विस्तृत दिशा-निर्देश डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट <http://dsrrau.info> पर उपलब्ध होंगे।

  
(भगवत् सिंह)  
शासन उप सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विमाग राजस्थान, जयपुर

विज्ञापन क्रमांकः

दिनांक

आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति संख्या: 01 / 2023

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के 639 पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद स्थायी है तथा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती हैं। आवेदन पत्र डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <http://dsrrau.info> पर दिनांक 01 मई 2023 प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार हैं—

Name of Posts	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				B.C.				M.B.C.				E.W.S.				Horizontal Reservation								
		सभावाल	सामाजिक वर्गीकरण	विवाद	प्राप्ति	सामाजिक वर्गीकरण	विवाद	प्राप्ति	सामाजिक वर्गीकरण	विवाद	प्राप्ति																							
आमुर्वद विभिन्नता अधिकारी	639	153	47	18	4	11	67	20	8	2	5	51	15	6	1	3	88	27	11	2	6	21	7	2	0	1	42	12	5	1	3	13	13	13

### नोट :-

- कार्यिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथार्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अम्बर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत दिया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रमाणित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथार्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
  - राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अम्बर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
  - किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विद्वित्त विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अम्बर्थीयों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा विधवा और विद्वित्त विवाह अम्बर्थीयों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अम्बर्थीयों द्वारा भरी जायेगी जिसके उपयुक्त महिला अम्बर्थीयों के उपलब्ध न होने के दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अम्बर्थीयों द्वारा भरी जायेगी। विधवा और विद्वित्त विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित प्रवर्ग की भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले हिलाकोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
  - विशेष योग्यजन के लिए दराए गए पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अम्बर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
  - राजस्थान सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान सख्त्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
  - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तजन उपलब्धता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यापित से भर सकेगा।
  - अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विद्यालयान्तर राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/बीसी/एमबीसी/ईडल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक/ वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
  - विज्ञापित उक्त पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अम्बर्थीयों (Persons With Disabilities) को 4 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज रूप से देय होगा।

पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी


(a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV (b) SLD (c) MD involving (a) to (b) above

**शैक्षणिक योग्यताएँ :-**

1. A bachelor's degree in Ayurved from a University established by law in India or equivalent and recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970	
नोट:- आवेदक का राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा विस्तृत आवेदन पत्र/दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।	
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। डा० ३० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 31 मई 2023 तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह आपत्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक इन्टर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है।
पे भैट्रिक्स	ऐ मैट्रिक्स लेवल L - 14 नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम।

**विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान**

क्र.सं.	अधिकतम आयु में देय छूट	अधिकारियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां
1.	5 वर्ष Five Years	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS
2.	5 वर्ष Five Years	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category
3.	10 वर्ष Ten Years	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS
4.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit	विधवा एवं विचिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.
5.	The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	रिजिस्टर अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
6.	The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
7.	In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दिल्लित होने से पूर्ण अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी।
8.	That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कार में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिखिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
9.	That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before University had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
10.	According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार विश्वाकांत व्यक्तियों के लिये ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।
11.	The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working as Ayurved Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years.	जो व्यक्ति राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पद पर लगातार काम कर रहा है, को की गई सेवा के बराबर अवधि में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी जोकि अधिकतम पांच वर्ष की होगी।
12.	The upper age limit shall be relaxed by three years in the case of candidates holding post graduate Degree in Ayurved.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।
13.	As per DOP Notification No. F.7(6) DOP/A-II/2008 Dated. 23-09-08 "If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years."	कार्यक्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षों में इन पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष शिखिलता दिये जाने का प्रावधान है।
14.	उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत दृ०कृ विभाग द्वारा वर्ष 2021 में भर्ती की गई है, जिसमें आयु गणना दिनांक 01.01.2022 के आधार पर गणना की गई है। अतः अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के कम में नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की शिखिलता दिये जाएंगी।	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिखिलताकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।


  
 1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature]

	<p>According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable.</p> <p><b>स्पष्टीकरण :-</b> कार्यिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।</p>
--	---

### नोट -

- (1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार देय छूट के पश्चात् अतिरिक्त छूट देय होगी।
- (3) कार्यिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अम्बर्धी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रियितों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- (4) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अम्बर्धी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होती चाहिए।
- (5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होगा।
- (6) आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम आदेशों के अनुसार देय होगी।

### अन्य विवरण

चयन का आधार	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 (यथा संशोधित) के नियम 19 तदत्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु- 2012-13 पार्ट ग दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत वरीयता सूची तैयार की जायेगी। 1. जिसके अनुसार राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेद चिकित्साकारियों के पद के समान प्रकृति (Similar work) के कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत घेटेज बोनस अंकों के दिये जायेंगे। प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक बोनस दिये जायेंगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा। अन्य अभ्यर्थी जिनका सरकार, राज्यीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत कार्यानुभव नहीं है को कोई बोनस अंक देय नहीं है। 2. 70 प्रतिशत घेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अम्बर्धी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा। 3. विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।
आवेदन अवधि	दिनांक 01 मई 2023 से दिनांक 31 मई 2023 तक 12-00 बजे तक
आवेदन प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अम्बर्धी डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <a href="http://dsrrau.info">http://dsrrau.info</a> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें।</li> <li>2. अभ्यर्थीयों को आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् रिफर्ड नहीं किया जायेगा।</li> <li>3. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन की अनिम्न दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सकें।</li> <li>4. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</li> <li>5. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर पर दिये गये Helpdesk Number 0291-2795356 या E-Mail - <a href="mailto:dsrrau.it@gmail.com">dsrrau.it@gmail.com</a> पर सम्पर्क करें।</li> <li>6. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें।</li> <li>7. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन-पत्र जमा करना होगा।</li> <li>8. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</li> <li>9. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रतिरिद्युत्यान ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</li> </ol>

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, एवं श्रेणी/वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस./ई-मेल के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस./ई-मेल से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है-
(क)	यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अनिम्न दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 300/- का डी.डी. कुलसंचय, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से बनवा कर विश्वविद्यालय में स्थाय उपरित्य होकर आफलाइन संशोधन करा सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन खोला नहीं किया जाएगा। एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण वायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। परन्तु, विधाय/परिवर्तन/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केटेगरी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थीयों का दस्तावेज सत्यापन के समय तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा।
(ख)	डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रतिरिद्यान आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन शुल्क:-	
(क)	सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :-
(ख)	राजस्थान के नाँव क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक हेतु :-
(ग)	समस्त निःशक्तजन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं राजस्थान की अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु -
	रुपये 2500/- रुपये 1250/- रुपये 1250/-

### नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थीयों का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थीयों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के

ऐसे अभ्यर्थीं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिवर्तन के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है। उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- (1) अध्यक्षी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, अंकित करें जिस पर वह दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के साथ से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, बदलने/बद्ध होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र व्यापर्युक्त भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्राविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्राविष्टियों को ही सही मानकर डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर जिम्मेदार नहीं होनी चाहें। अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिंट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण विशेष स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़ कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।
- (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परिवार्याना का परिवार्यान मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण विशेष स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़ कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।
- (6) डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिससे समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच आवश्यक रूप से करते हैं तो वह अवधि के पश्चात् उसकी संवधित वर्ग/श्रेणी से संवधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों का लाभ देय नहीं होगा तथा उसे अनारक्षित श्रेणी में मानते हुए कार्यवाही की जावेगी और अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (8) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर दिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात्/दस्तावेज सत्यापन के पूर्व जो आवेदक की विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता की जाँच दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी। सत्यापन के समय आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समर्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उसीदार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो पात्रता रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- (9) आवेदक उक्त पद देते तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद देते हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत यांचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंतरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को डांगों सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र मान जायेगा अन्यथा अपात्र मान जायेगा।
- (10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-


आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज सत्यापन करना सुनिश्चित कर लिया जाये:-

1. कार्यिक (क-2) विभाग के परिवर्तन दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
2. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में नियास स्थान एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
4. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, नियास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र पर जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
8. आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अन्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा।
9. शैक्षणिक/ प्रौद्योगिक योग्यता तथा शेष सभी जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), अन्यादि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र की अंतिम दिनांक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) तक अंतिम होना आवश्यक है विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अन्यर्थी के पास पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पिता के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता/ तलाक सूझा श्रेणी में आवेदन करने वाले अन्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिग्री दस्तावेज सत्यापन होने की दिनांक तक होना आवश्यक है। अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की जावेगी।
10. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान — कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यवित जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्त से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथित कर सकेगा और उसे उसकी कालावधि के दो माह की किसी कालावधि के भीतर—भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुमति किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संविधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तरीख—वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनवंश देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/ तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। “कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल नियासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।”
11. शासन के परिपत्र ब्राम्कं प.६(१९)गृह-१३/२००६ दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. ऐसा कोई भी अन्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् वो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु वो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ातरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्तिर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्वास से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्तिर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विविध के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। विधवा एवं परित्यक्ता पर यह नियम लागू नहीं होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी डिकी/दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में वादा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विवाचाधीन होने पर नियुक्ति देतु आपत्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णपूर्ण से रखता है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केंद्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों (एन.आर.एच.एम आदि) में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

**विशेष नोट:-**  
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उक्त विज्ञापन में विवाहित पद हेतु समस्त रिस्ति उक्तानुसार पर्याप्त की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/इ-मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अन्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अन्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

सूचना :- समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <http://dsraau.info> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में रिस्ति रखात कक्ष पर व्यवितरण रूप से अथवा दूरभाष सं. 0291-2795356 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नागौर रोड, करवड, जोधपुर-342037 को सम्बोधित किया जाए।

  
शासन उप सचिव  
आयुष विभाग राजस्थान  
जयपुर

कार्यालय.....

क्रमांकः—

दिनांक

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र / पति / पुत्री  
 श्री.....निवास.....की नियुक्ति.....के आदेश क्रमांक.....  
 .....दिनांक.....के द्वारा.....के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई  
 आधार पर.....योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक.....से दिनांक..... तक  
 कार्यरत है /रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि..... वर्ष .....माह..... हैं।

हस्ताक्षर

नाम.....  
 पदनाम.....  
 कार्यालय स्टाम्प.....

1. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, प्राचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ  
 /सीएमएचओ/उपनिदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निदेशक एनएचएम निदेशक आरआरसी. का सक्षम  
 अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी  
 माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो  
 उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस  
 अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र  
 प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

नोटः— अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवदेन करने की अन्तिम तिथि तक  
 की जावेगी।